न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज आरएएस

प्रकरण सं0 : 51/2024

अनवान :

सहीराम पुत्र झाबर जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. झाबर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
2. निका पुत्री झाबर पत्नी औमप्रकास जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. तारा पुत्री झाबर पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. राजबाला पुत्री झाबर पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 35/35 के खसरा सं0 303/79 की 2.3210 है0, ख0सं0 305/164 की 2.1890 है0, खसरा सं0 307/268 की 2.9090 है0, खसरा संख्या 49 की 3.3650 है0, ख0सं0 80 की 0.0630 है0 कुल खसरा 5 की 10.8470 है0 प्रतिवादी संख्या 1 झाबर के नाम दर्ज है। उक्त वादभूमि में से खसरा सं0 303/79 की 2.3210 है0 तथा ख0सं0 80 की 0.0630 है0 कुल खसरा 2 की 2.384 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 झाबर के नाम यथावत रखी जाती है। तथा शेष वादभूमि खसरा सं0 305/164 की 2.1890 है0, खसरा सं0 307/268 की 2.9090 है0, खसरा संख्या 49 की 3.3650 है0 कुल खसरा 3 की 8.463 है0 वादभूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 झाबर अकेले की बजाए वादी सहीराम को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 झाबर को 1/5 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि वादभूमि में प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रिया बजाज) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रिया बजाज

करण सं0 : 51/2024

नवान :

सहीराम पुत्र झाबर जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. झाबर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा।
2. निका पुत्री झाबर पत्नी औमप्रकास जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
3. तारा पुत्री झाबर पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. राजबाला पुत्री झाबर पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बावत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर : वादी

वकील श्री नरेन्द्र सिहाग : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

दिनांक : 03.03.25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 35/35 के खसरा सं0 303/79 की 2.3210 है0, ख0सं0 305/164 की 2.1890 है0, खसरा सं0 307/268 की 2.9090 है0, खसरा संख्या 49 की 3.3650 है0, ख0सं0 80 की 0.0630 है0 कुल खसरा 5 की 10.8470 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 झाबर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम विरासतन दर्ज हुई है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सहीराम पुत्र झाबर जाति जाट [illegible] छोटी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्ता[illegible] में जम[illegible] ग्राम [illegible]गासरी छोटी संवत 2076–79 खाता संख्या 35/35 प्रदर्श [illegible] 2035 खाता [illegible] प्रदर्श 2, [illegible] 3, शपथ पत्र वादी पैतृक जमाबंदी जिगासरी छोटी सम्वत 2035 खाता [illegible] सहीराम पुत्र झाबर जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी प्रदर्श 4 [illegible]र्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamSca

द में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन या।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत स्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जिगासरी ोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने तु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र दर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 35/35 5 खसरा सं0 303/79 की 2.3210 है0, ख0सं0 305/164 की 2.1890 है0, खसरा सं0 07/268 की 2.9090 है0, खसरा संख्या 49 की 3.3650 है0, ख0सं0 80 की 0.0630 है0 कुल ासरा 5 की 10.8470 है0 प्रतिवादी संख्या 1 झाबर के नाम दर्ज है। उक्त वादभूमि में से ख0सं0 305/164 की 2.1890 है0, खसरा सं0 307/268 की 2.9090 है0, खसरा संख्या 49 की 3.3650 है0 कुल खसरे 3 की कुल 8.463 है0 वादभूमि सुरजाराम को अपने पिता हेतराम े विरासतन में मिलना साबित है इसके अलावा शेष भूमि दादालाई होनी साबित नही है। शेष ादभूमि खसरा सं0 303/79 की 2.3210 है0, ख0सं0 80 की 0.0630 है0 प्रतिवादी सं0 1 झाबर के नाम यथावत रखी जावें। इस प्रकार पैतृक वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 झाबर अकेले की बजाए वादी सहीराम को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 झाबर को 1/5 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। चूंकि वादभूमि में प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 35/35 के खसरा सं0 303/79 की 2.3210 है0, ख0सं0 305/164 की 2.1890 है0, खसरा सं0 307/268 की 2.9090 है0, खसरा संख्या 49 की 3.3650 है0, ख0सं0 80 की 0.0630 है0 कुल खसरा 5 की 10.8470 है0 प्रतिवादी संख्या 1 झाबर के नाम दर्ज है। उक्त वादभूमि में से खसरा सं0 303/79 की 2.3210 है0 तथा ख0सं0 80 की 0.0630 है0 कुल खसरा 2 की 2.384 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 झाबर के नाम यथावत रखी जाती है। तथा शेष वादभूमि खसरा सं0 305/164 की 2.1890 है0, खसरा सं0 307/268 की 2.9090 है0, खसरा संख्या 49 की 3.3650 है0 कुल खसरा 3 की 8.463 है0 वादभूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 झाबर अकेले की बजाए वादी सहीराम को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 झाबर को 1/5 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि वादभूमि में प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priya Bajaj
Date: 2025.03.06 17:36:16 IST
Reason: SelfAttested

3.3.25
(प्रिया बजाज) R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamSca